


आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(103)PS/DCE/ 13/1694

दिनांक 01.11.2019

आदेश


विभाग के नोटिस क्रमांक F1(103)PS/DCE/ 13/337 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के अन्तर्गत दिनांक 2.4.1994 से 1.4.2007 तक कार्यरत व्याख्याताओं (जिनका वर्तमान पद नाम सह आचार्य/सहायक आचार्य है) की इस कार्यालय द्वारा जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची को एतद् द्वारा प्रत्याहारित किया जाता है।


(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
- 5- सहायक निदेशक, क्षेत्री कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर /अजमेर
- 6- वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- स्थापना शाखा ।
- 8- रक्षित पत्रावली ।


(डा. अंसार अहमद खॉन) 11/11/19

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर